कर्मचारी राज्य बीमा योजना पूरे राज्य में होगी लागू : श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन

- बिलासपुर में नया 100 बिस्तर अस्पताल होगा प्रारंभ
- रायपुर एवं कोरबा के अस्पताल को 100 बिस्तर में होगा उन्नयन
- गंभीर रोगों के ईलाज के लिए अनुबंधित निजी अस्पतालों में कैशलेस रैफरल की सुविधा
- भिलाई एवं रायगढ़ के 100 बिस्तर अस्पतालों में बढ़ेगी सुविधाएं
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक

■ जशपुरान्चल

रायपुर। छत्तीसगढ़ श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पूरे राज्य में लागू होगी। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिलासपुर में 100 बिस्तर नया अस्पताल प्रारंभ करने, रायपुर एवं कोरबा के अस्पतालों को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन और लारा एवं खरसिया के अस्पतालों को जल्द प्रारंभ करने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

श्रमिकों को कैंसर, किडनी जैसे गंभीर रोगों के ईलाज के लिए औषधालयों से सीधे अनुबंधित निजी अस्पतालों में कैशलेस रेफरल की सुविधा भी मिलेगी। बिलासपुर में नया 100 बिस्तर अस्पताल के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द भूमि उपलब्ध कराएगी। बीमित व्यक्तियों एवं नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर के क्षेत्रों को मिलाकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उप क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव का बैठक में अनुमोदन किया गया है।

रायपुर एवं कोरबा के अस्पतालों को तीन माह के भीतर 50 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर किए जाने और लारा एवं खरसिया के अस्पतालों को नवंबर माह तक प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। भिलाई एवं रायगढ़ के 100 बिस्तर अस्पतालों में मरीजों की भर्ती के लिए [illegible] मेटरनिटी वार्ड, एक्सरे, ऑपरेशन थियेटर तथा लैबोरेटरी की सुविधा प्रारंभ करने, कोरबा और रायपुर [illegible] अस्पतालों में आने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कोविड राहत योजना के तहत 386 बीमित व्यक्तियों के दावों को स्वीकृति दी गई तथा मार्च 2024 तक 16.21 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। इसी प्रकार उद्योगों एवं संस्थाओं के पंजीकृत बीमित व्यक्तियों को बीमारी हित लाभ, स्थायी अपंगता पर पेंशन मातृत्व अवकाश, अन्त्येष्टि व्यय आदि पर वर्ष 2023-24 में 33.04 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

बैठक में उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद, एवं सचिव श्रम विभाग, श्रीमती अलरमेलमंगई डी., कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक मोहंद भोई, क्षेत्रीय परिषद के सदस्य सचिव डॉ रचिता विश्वास, क्षेत्रीय बीमा आयुक्त रांची (पूर्वी क्षेत्र) तथा क्षेत्रीय परिषद के सदस्य सर्वश्री हरीश केडिया, डी. के. अग्रवाल, एल. पी. कटकवार शामिल थे।